न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 57/2017

प्रार्थी:–

चन्दनमल पुत्र पुखराज जाति महाजन परमार, निवासी आसन का वास, सेवाडी तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. रमेश कुमार पुत्र पुखराज जाति जैन निवासी 542, रेवारिया का उपरला बास, गांव सेवाडी, तहसील बाली हाल बिल्डिंग नम्बर 109, सी परमानन्द बिल्डिंग भायन्द वेस्ट, मुम्बई
2. ग्राम पंचायत सेवाडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सेवाडी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री नवरतन अग्रवाल, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 29.12.2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सेवाडी द्वारा मिसल संख्या 86/2012–2013 संकल्प संख्या 2 दिनांक 04.02.2013 की पालना में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 04.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पिता पुखराज पुत्र चिमनाजी महाजन के नाम से कब्जासुदा व पट्टासुदा मकान ग्राम सेवाडी में आसन का वास में स्थित है। इस मकान का पट्टा संख्या 72/55 मिसल संख्या 183/52–53 पुखराज पुत्र चिमना महाजन के नाम से बना हुआ है। उक्त मकान में प्रार्थी का निवास है। उक्त पट्टासुदा मकान पर प्रार्थी के भाई रमेश ने बदनियती से गलत रूप से उस मकान को हथियाने के लिये ग्राम पंचायत सेवाडी में गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रसतुत कर पचास वर्षो से कब्जा बताकर आवश्यकता हेतु पट्टे की मांग की, जिस पर ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्ध रूप से नियमों के विपरित जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो खारिज योग्य है। उक्त भूमि का पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, इस प्रकार उक्त भूमि पर पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का अधिकार नही था, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें किसी प्रकार से नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना नही की गई है। न तो ग्राम सेवक द्वारा मोका निरीक्षण किया

अति० जिला कलेक्टर, पाली

गया तथा न ही नक्शा बनाकर प्रस्तुत किया। पंचो द्वारा बिना मौका निरीक्षण किये, मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर दी, जिसमें आज्ञापक प्रावधानों को दरकिनार किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया विधि विरूद्ध रूप से अपनाई गई। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सेवाडी द्वारा मिसल संख्या 86/2012–2013 संकल्प संख्या 2 दिनांक 04.02.2013 की पालना में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 04.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। मिसल के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 रमेश कुमार पुत्र पुखराज जैन द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सेवाडी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में वांछित भूमि के जो पडौस अंकित किये है, उसके अनुसार पूर्व में दरवाजा व रास्ता, पश्चिम में गली, उत्तर में पारसमल जैन का मकान एवं दक्षिण में मनरूप पुत्र खुमाजी जैन का मकान स्थिति होना अंकित किया। इस प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर सरपंच ग्राम पंचायत सेवाडी द्वारा सचिव को मिसल दर्ज कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात दिनांक 20.01.2013 पंचायत बैठक में मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचो को मनोनीत किया गया। इसके पश्चात दिनांक 25.01.2013 को मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण का विनियमितिकरण हेतु अस्थाई निर्णय लिया गया तथा 7 दिवस का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 01.02.2013 को पत्रावली पेश होने पर किसी प्रकार आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण दो गवाहों के बयान कलमबद्ध कराने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 04.02.2013 को आदेश पारित करते हुए नियम 157 (ख) के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। मिसल में दर्ज दिनांक तथा बैठक कार्यवाही विवरण का मिलान करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण में दिनांक 20.01.2013, 25.01.2013 एव 01.02.2013 की बैठक कार्यवाही में इस मिसल का इन्द्राज ही नही है। इस प्रकार मिसल में इन दिनांकों को जो भी आदेश पारित किये गये है, वे आदेश विधि सम्मत नही माने जा सकते है। चूंकि ग्राम पंचायत कोरम में पारित प्रस्ताव को ही मान्यता प्रदान किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में जो मिसल कायम की गई है, उनमें अंकित आदेश का पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण से मिलान नही होने के कारण मिसल में पारित आदेशों को विधि सम्मत नही माना जा सकता है। इस प्रकार मिसल की कार्यवाही एवं पंचायत की बैठक का परस्पर मिलान होने के कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की कार्यवाही में किसी प्रकार की विधिक अनियमितता एवं प्रक्रियागत त्रुटी नही पाई जाती है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का

अति० जिला कलेक्टर, राजे

नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 140 से नियम 160 में विहित प्रक्रिया की पालना का पूर्ण रूपेण अभाव पाया गया है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत आंशिक स्वीकार की जाती है ग्राम पंचायत, सेवाडी द्वारा मिसल संख्या 86/2012–2013 संकल्प संख्या 2 दिनांक 04.02.2013 की पालना में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 04.02.2013 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत सेवाडी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली